राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकः– एफ.वी.13(13)(1)पपावि/यो/पुर्नगठन/2012–13/ दिनांकः–

आज्ञा

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने हेतु पूर्व में प्रसारित आज्ञा संख्या 13(13)(1)पपावि/यो/पुर्नगठन/2012–13/1614 दिनांक 20.02.2013 में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार संशोधित मापदण्ड एतद् द्वारा निर्धारित किये जाते हैः–

(1) पशु चिकित्सालय खोलने हेतु मापदण्ड

(अ) ग्रामीण क्षेत्रः–

1. निकटतम पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र एवं संस्था से 6 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम कुल पशुधन की संख्या 6 किलोमीटर की परिधि में लगभग 5000 हो।
3. पक्की सड़क/पानी, बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. 200 वर्गगज जमीन तथा 3–4 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(ब) शहरी क्षेत्रः–

1. कार्यरत अथवा निकटतम पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र एवं संस्था से 4 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम कुल पशुधन की संख्या 4 किलोमीटर की परिधि में लगभग 3000 हो।
3. पक्की सड़क/पानी,बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. 150 वर्गगज जमीन तथा 4 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(2) पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने हेतु मापदण्ड

(अ) ग्रामीण क्षेत्रः–

1. ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा इसके राजस्व ग्रामों में पूर्व में पशु चिकित्सा संस्था स्वीकृत नही हुई हो।
2. ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा इसके राजस्व ग्रामों के क्षेत्र में न्यूनतम कुल पशुधन की संख्या लगभग 3000 हो।
3. पक्की सड़क/पानी,बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. **100x100** वर्गफीट जमीन तथा 3–4 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

(ब) शहरी क्षेत्रः–

1. निकटतम पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र एवं संस्था से 3 किलोमीटर की दूरी वांछनीय है।
2. न्यूनतम कुल पशुधन की संख्या 3 किलोमीटर की परिधि में लगभग 2000 हो।
3. पक्की सड़क/पानी,बिजली, दूरभाष आदि की सुविधायें उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।
4. 100 वर्गगज जमीन तथा 2 कमरों का पक्का निःशुल्क भवन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावे।

ह०
(एन.एल.गुप्ता)
शासन उप सचिव

क्रमांकः– एफ.वी.13(13)(1)पपावि/यो/पुर्नगठन/2012–13/२७१- २८० दिनांकः– २१/५/२०१७

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1.विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग,राजस्थान,जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3.निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4.रक्षित पंजिका।

20/4
शासन उप सचिव